



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937

No. 835]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1070(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) का पुनर्गठन करती है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 23 मई, 2013 की संख्या का.आ.1330(अ) और दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के सा.का.नि. 3165(अ) अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3165(अ) दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 में, प्रविष्टि संख्या 3 पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सदस्य

(ख) धारा 5क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

3. अपर सचिव,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

भारत सरकार,

नई दिल्ली।

3. दिनांक 23 मई, 2013 की अधिसूचना सं. का.आं 1330(अ) में, क्रम संख्या 4 पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सदस्य

(ख) धारा 5क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

4. महानिदेशक,
श्रम कल्याण,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

[सं.वी-20012/1/2013-एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd April, 2015.

S.O. 1070(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby reconstitutes the Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and makes the following amendment in this Ministry's Notifications published in the Gazette of India having No. S.O. 1330(E) dated 23rd May, 2013 and No. G.S.R. 3165(E) dated 12th December, 2014.

In the Notification No. G.S.R. 3165(E) dated 12th December, 2014, at Sl. No. 3, the following entry shall be substituted, namely—

MEMBERS

(b) Representatives of Central Government under clause (b) of sub-section (1) of Section 5A.

3. Additional Secretary,
Ministry of Labour & Employment,
Government of India,
New Delhi

3. In the Notification No. S.O. 1330(E) dated 23rd May, 2013, at Sl. No. 4, the following entry shall be substituted, namely -

MEMBERS

(b) Representatives of Central Government under clause (b) of sub-section (1) of Section 5A.

4. Director General,
Labour Welfare,
Ministry of Labour & Employment,
Government of India,
New Delhi.

[No.V-20012/1/2013-SS.II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.